<u>लोक सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या –*36
उत्तर देने की तारीखः 19.11.2019

दिव्यांग बालकों का कल्याण

*36. श्रीमती रंजीता कोलीः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित निधि के मात्र 60 प्रतिशत के उपयोग के कारण दिव्यांग बालकों के कल्याण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग को आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"दिव्यांग बालकों का कल्याण" के संबंध में 19.11.2019 को उत्तर देने के लिए श्रीमती रंजीता कोली और श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी नहीं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई निधि, आवंटित निधि के 95 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए आवंटित/ उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:–

करोड रूपए में

वर्ष	**2016–17**	**2017–18**	**2018–19**
बजट अनुमान	783.56	855.00	1070.00
संशोधित अनुमान	783.56	955.00	1070.00
जारी की गई निधि/वास्तविक व्यय	772.66	928.32	1017.56

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****